



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GE 668432

हम मनीष कुमार मिश्र एवं अल्का मिश्रा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव पं० नगीना सेवा ट्रस्ट मिश्रपुर जोकहरा लाटपाट आजमगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

- यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
अ. बत्स चन्द्रकला नगीना कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी
ब. पं० नगीना कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी
- यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	जोकहरा लाटपाट आजमगढ़	1288 मि० 1290 मि० 1294 मि० 1295 मि० 1296 मि० 1298 मि० 1299/1 मि० 1233 0/3 मि० 1300 मि० 1302 मि० 1276 मि० 1278 मि० 1279 मि० 1281 मि० 1283 मि० 1289 मि० 1301 मि०	.033 .020 .015 .429 .132 .358 .032 .027 .089 .095 .090 .071 .169 .20 .227 .253 .113	2.116 हे०



3. यह कि, उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थानों को निम्न विवरण के अनुसार हमारी ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है :

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7
1	ए० नवीना कॉलेज ऑफ फार्मैसी	ए० नवीना कॉलेज ऑफ फार्मैसी	जोकरा नारपट आजमगड	1288 मि० 1290 मि० 1294 मि० 1295 मि० 1296 मि० 1298 मि० 1299/1 मि० 1233 0/3 मि० 1300 मि० 1302 मि०	.033 .020 .015 .429 .132 .158 .032 .027 .089 .095	.993
2	बल्लु बन्दकला नवीना कॉलेज ऑफ फार्मैसी	बल्लु बन्दकला नवीना कॉलेज ऑफ फार्मैसी	जोकरा नारपट आजमगड	1276 मि० 1278 मि० 1279 मि० 1281 मि० 1283 मि० 1289 मि० 1301 मि०	.090 .071 .169 .20 .227 .253 .113	1.123


4. यह कि, उपरोक्त स्थिति सम्बंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय की है, एवं इसमें कालांतर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

6. यह कि, भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद् कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा भ्रुष्टिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।


H.O अधिकारी




H.O अधिकारी